120

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एस.एस.अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 0458/2019/नीमच/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1103/2017–18/अपील

किशन लाल पुत्र श्री चैना भील,
निवासी – ग्राम रामनगर, सुठौली,
तहसील जावद, जिला नीमच (म.प्र.) —— अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला – नीमच (म.प्र.)

2– लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री राधेश्याम पाटीदा,
निवासी – ग्राम रामनगर, सुठौली,
तहसील जावद, जिला नीमच (म.प्र.) —— प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मुकेश शर्मा, शासकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी क्रमांक 1

आदेश

(आज दिनांक 12-04-19)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1103/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का सारांश यह है कि विचारण न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 165(6) के तहत इस आशय से प्रस्तुत किया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नम्बर 130/3/मिन.1 रकवा 0.298 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 130/3/मिन.3 रकवा 0.298 हैक्टेयर, कुल किता 02, कुल रकवा 0.596 हैक्टेयर को विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गयी है। जिस पर कलेक्टर, जिला नीमच द्वारा उक्त आवेदन पत्र को दिनांक 13.02.2018 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 31.03.2018 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3— अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4— आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र बिना की प्रर्याप्त कारण से निरस्त किया है, जबकि अपीलार्थी की ओर से उक्त विक्रय पत्र किये जाने के संबंध में सद्भाविक कारण दिये गये थे, इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया था, उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 130/3/मिन.1 रकवा 0.298 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 130/3/मिन.3 रकवा 0.298 हैक्टेयर, कुल किता 02, कुल रकवा 0.596 हैक्टेयर जो ग्राम रामनगर सुठौली, जिला नीमच में स्थित है, जिसे वह विक्रय करना चाहता है। उक्त विक्रय पत्र किये जाने से उसके पास ग्राम जीवापुर में भूमि सर्वे नम्बर 25 मिन–10 रकवा 0.500 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी, जिससे उसका भरण–पोषण विधिवत रूप से हो सकेगा। इस वैधानिक बिन्दु पर विधिवत विचार किए बिना कलेक्टर, जिला नीमच द्वारा आवेदन पत्र को

निरस्त किया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के गुण–दोषों पर विचार किये बिना मात्र परिसीमा के बिन्दु पर अपील को अमान्य किया है, जबकि परिसीमा के बिन्दु पर न्यायालयों को उदार दृष्टिकोण अपनाकर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर करना चाहिये था, जो वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाये तथा अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये।

5– प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित उनके द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो आदेश पारित किये हैं, वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम रामनगर सुठौली, जिला नीमच में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 130/3/मिन.1 रकवा 0.298 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 130/3/मिन.3 रकवा 0.298 हैक्टेयर, कुल किता 02, कुल रकवा 0.596 हैक्टेयर भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति मांगी गयी है। इस संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत जॉच कर अपने अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, जिस पर विचार किये बिना भूमि विक्रय की अनुमति का आवेदन पत्र निरस्त किया है। जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विकय की अनुमति दिये जाने पश्चात् उसके पास ग्राम जीवापुर में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 25 मिन–10, रकवा 0.500 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी उसका जीवनयापन विधिवत रूप से हो सकेगा। उपरोक्त व्यवहारिक एवं कानूनी बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश कलेक्टर, जिला नीमच एवं अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित किये गये है, विधिवत नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश निरस्त किये जाते हैं।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/अ—21/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2018 एवं अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 1103/2017—18 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं अपीलार्थी को ग्राम रामनगर सुठौली, जिला नीमच में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 130/3/मिन.1, रकवा 0.298 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 130/3/मिन.3 रकवा 0.298 हैक्टेयर, कुल किता 02, कुल रकवा 0.596 हैक्टेयर भूमि के विक्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है। कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करे कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व अनुबंध के समय दी गयी अग्रिम राशि को कम करके) बैंक चेंक/बैंक ड्राफ्ट/नेंट बेंकिग से आवेदकगण के खाते में जमा की जावेगी परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर